

न्यायालय—प्रवीण कुमार सोंधिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना,
जिला—सतना (म.प्र.)

(भा.ना.सु.संहिता की धारा-12(1), 12(2) के अंतर्गत आपराधिक कार्य विभाजन)
कार्य विभाजन आदेश वर्ष—2026

मैं, प्रवीण कुमार सोंधिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सतना, जिला—सतना म0प्र0 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-12(1), 12(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए सतना जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य समस्त आपराधिक प्रकरण एवं अनुसांगिक कार्यों के निष्पादन के संबंध में निम्नांकित क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परनिश्चित करते हुए पूर्व में जारी समस्त कार्य विभाजन आदेशों को निरस्त करते हुए, निम्न कार्य विभाजन आदेश प्रसारित करता हूँ, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सतना के अनुमोदन उपरांत तत्काल प्रभावशील होगा।

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट,	अधिकार क्षेत्र	कार्य— विभाजन
1	प्रवीण कुमार सोंधिया मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सतना (म0प्र0)	<u>संपूर्ण जिला—सतना</u>	<p>(A)—जिला स्थापना के अंतर्गत सभी पुलिस आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत आपराधिक मामलों की समस्त खारिजी रिपोर्ट (ई.आर.)।</p> <p>(B)—मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत धारा-113/194 ओवरलोड के मामले।</p> <p>(C)—म0प्र0 सिनेमा (रेगुलेशन) अधिनियम-1952</p> <p>(D)—भारतीय औषधि अधिनियम।</p> <p>(E)—पासपोर्ट अधिनियम।</p> <p>(F)—बालश्रमिक अधिनियम एवं बाल श्रमिक से संबंधित अन्य अधिनियम।</p> <p>(G)—म0प्र0 दुकान एवं संस्थापना अधिनियम-1958</p> <p>(H)—कारखाना अधिनियम से संबंधित मामले।</p> <p>(I)—क्षेत्रीय परिवहन अधिनियम सतना के मामले।</p> <p>(J)—म0प्र0 नगर निगम अधिनियम के तहत नगर निगम सतना द्वारा प्रस्तुत आपराधिक मामले।</p> <p>(K)—संपूर्ण जिला मुख्यालय सतना में उद्भूत जल/वायु/पर्यावरण अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण।</p> <p>(L)—अन्य अधिनियम से संबंधित ऐसे प्रकरण, जिनका उल्लेख पृथक से कार्य विभाजन पत्रक में नहीं किया गया है एवं जिनमें अर्थदण्ड न्यूनतम 50,000/- रुपये से अधिक करने का प्रावधान है।</p>
		(2) आरक्षी केन्द्र कोलगवॉ, यातायात ए वं जी0आर0पी0 सतना	<p>(A)—आरक्षी केन्द्र कोलगवॉ, यातायात एवं जी0आर0पी0 सतना के सीमान्तर्गत क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण (परिवाद पत्र मामलों, द0प्र0सं0 की धारा-125 से 128 तक एवं</p>

			<p>दि० मुस्लिम बूमेन एक्ट-1986 के आधीन प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र, पराकाम्य लिखित अधिनियम की धारा-138 के तहत पेश होने वाले परिवाद मामलों को छोड़कर) (ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 की पहली अनुसूची के भाग-1 व भाग-2 में वर्णित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण/परिवाद जो राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर)</p> <p>(B)-आबकारी विभाग वृत्त सतना क्रमांक-1, वृत्त सतना क्रमांक-2 एवं वृत्त कोठी के आबकारी विभाग के समस्त प्रकरण।</p>
2	श्री पुष्पराम सिंह उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना (म०प्र०)	आरक्षी केन्द्र-सिविल लाइन सतना	<p>(A)-आरक्षी केन्द्र सिविल लाइन के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 की पहली अनुसूची के भाग-1 व भाग-2 में वर्णित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण/परिवाद जो राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले।</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र सिविल लाइन की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द०प्र०सं० की धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा.ना.सु. सं. के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं द० मुस्लिम बूमेन अधि० 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन।(कुटुम्ब न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)</p> <p>(C)-समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p>
3	श्री भूपेश कुमार मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना (म०प्र०)	आरक्षी केन्द्र-सिटी कोतवाली	<p>(A)-आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 की पहली अनुसूची के भाग-1 व भाग-2 में वर्णित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण/परिवाद जो राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले।</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली की सीमा</p>

			<p>क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द0प्र0सं0 की धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा.ना.सु. सं. के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा0 मुस्लिम बूमेन अधि0 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन। (कुटुम्ब न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) (C)-समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p>
		<p>(1) राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत</p>	<p>(D)-राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत अंतर्गत (नगरनिगम/नगर पंचायत सीमा को छोड़कर) ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 के अंतर्गत अनुलग्न 'अ' में वर्णित ग्राम न्यायालय के अंतर्गत सम्मिलित ग्राम पंचायतों के ग्राम से संबंधित प्रकरण जो अनुलग्न 'अ' में पहली अनुसूची के भाग-1 व भाग-2 में वर्णित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण/परिवाद।</p>
		सम्पूर्ण जिला मुख्यालय सतना	<p>(E)-सम्पूर्ण जिला मुख्यालय सतना में उद्भूत वन विधि एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम से उत्पन्न सभी प्रकरण (जल/वायु/पर्यावरण अधिनियम से संबंधित मामले छोड़कर)।</p>
4	सुश्री सोनम शर्मा प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सतना (म0प्र0)	संपूर्ण सतना जिला	किशोर न्यायालय से संबंधित सभी प्रकरण।
5	श्रीमती निर्मला वास्कले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना (म0प्र0)	आरक्षी केन्द्र-कोटर	<p>(A)-आरक्षी केन्द्र कोटर के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 की पहली अनुसूची के भाग-1 व भाग-2 में वर्णित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण/परिवाद जो राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले।</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र कोटर की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द0प्र0सं0 की धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं. के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा0 मुस्लिम बूमेन अधि0 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के</p>

			<p>आधीन प्रस्तुत आवेदन। (कुटुम्ब न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)</p> <p>(C)-समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p>
6	श्रीमती ऋतिका शर्मा खरे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना (म0प्र0)	आरक्षी केन्द्र – सभापुर	<p>(A)-आरक्षी केन्द्र सभापुर के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 की पहली अनुसूची के भाग-1 व भाग-2 में वर्णित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण/परिवाद जो राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले।</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र सभापुर की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द0प्र0सं0 की धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं. के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा0 मुस्लिम बूमेन अधि0 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन। (कुटुम्ब न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)</p> <p>(C)-समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p>
7	श्री प्रत्युष चतुर्वेदी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना (म0प्र0)	आरक्षी केन्द्र-कोठी	<p>(A)-आरक्षी केन्द्र कोठी के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 की पहली अनुसूची के भाग-1 व भाग-2 में वर्णित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण/परिवाद जो राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले।</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र कोठी की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द0प्र0सं0 की धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं. के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा0 मुस्लिम बूमेन अधि0 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन। (कुटुम्ब न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)</p> <p>(C)-समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p>

8	सुश्री सोनाली वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना (म0प्र0)	आरक्षी केन्द्र-कोलगावां, जी. आर.पी. चौकी, यातायात, सिविल लाइन, अजाक थाना	(A) -उपरोक्त थानों से उत्पन्न होने वाले ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध किया गया हो। (B) -समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
9	श्री पुजित कमल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सतना(म0प्र0)	(3) आरक्षी केन्द्र- जैतवारा	(A) -आरक्षी केन्द्र जैतवारा के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 की पहली अनुसूची के भाग-1 व भाग-2 में वर्णित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण/परिवाद जो राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले। (B) -आरक्षी केन्द्र जैतवारा की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द0प्र0सं0 की धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं. के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा0 मुस्लिम बूमेन अधि0 1986 तथा द रेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन। (कुटुम्ब न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) (C) -समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
10	श्री संजीत चौरसिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना (म0प्र0)	आरक्षी केन्द्र- धारकुण्डी (अमुआ),	(A) -आरक्षी केन्द्र धारकुण्डी (अमुआ) के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 की पहली अनुसूची के भाग-1 व भाग-2 में वर्णित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण/परिवाद जो राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले। (B) -आरक्षी केन्द्र धारकुण्डी (अमुआ) की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द0प्र0सं0 की धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं. के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा0 मुस्लिम बूमेन अधि0 1986 तथा द रेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन। (कुटुम्ब न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) (C) -समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा

			अंतरित किये गये प्रकरण।
		आरक्षी केन्द्र-कोलगवां	<p>(A)-आरक्षी केन्द्र कोलगवां की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द0प्र0सं0 की धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं. के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा0 मुस्लिम बूमेन अधि0 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन। (कुटुम्ब न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र कोलगवां के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद पर कायम आपराधिक मामले जिनमें धारा-138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम से संबंधित मामले भी शामिल है।</p>
11	सुश्री अक्षिता शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना (म0प्र0)	आरक्षी केन्द्र- कोतवाली, कोठी, कोटर, सभापुर, जैतवारा एवं धारकुण्डी	<p>(A)-उपरोक्त थानों से उत्पन्न होने वाले ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध किया गया हो।</p> <p>(B)-समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p>
12	सुश्री संयोगिता खत्री न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सतना(म0प्र0)	(3) आरक्षी केन्द्र-महिला थाना एवं अजाक	<p>(A)-आरक्षी केन्द्र महिला थाना एवं अजाक के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 की पहली अनुसूची के भाग-1 व भाग-2 में वर्णित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण/परिवाद जो राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले।</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र महिला थाना एवं अजाक की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द0प्र0सं0 की धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा.ना. सु.सं. के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा0 मुस्लिम बूमेन अधि0 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन। (कुटुम्ब न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)</p> <p>(C)-समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p>
13	श्री राजीव पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागौद	(1) आरक्षी केन्द्र - नागौद	(A) -आरक्षी केन्द्र नागौद के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 की पहली अनुसूची के भाग-1 व भाग-2 में वर्णित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत समस्त

		संपूर्ण तहसील नागौद	<p>आपराधिक प्रकरण/परिवाद जो राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले।</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र नागौद की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द0प्र0सं0 की धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं. के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा0 मुस्लिम बूमेन अधि0 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन। (ग्राम न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)</p> <p>(C)-समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p> <p>(D)-आबकारी विभाग वृत्त नागौद के समस्त प्रकरण।</p> <p>(E)- संपूर्ण तहसील नागौद में उद्भूत वन विधि, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं माइनिंग लॉ से उत्पन्न सभी प्रकरण।</p>
		(1) राजस्व तह. नागौद की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आनेवाली जनपद पंचायत	<p>(A)-राजस्व तहसील नागौद की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत अंतर्गत (नगरनिगम/नगर पंचायत सीमा को छोड़कर) से ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उद्भूत परिवाद एवं आपराधिक प्रकरण एवं विविध प्रकरण।</p>
14	श्री वैभव पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागौद	(1) आरक्षी केन्द्र – सिंहपुर एवं रैगांव	<p>(A)-आरक्षी केन्द्र सिंहपुर एवं रैगांव के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 की पहली अनुसूची के भाग-1 व भाग-2 में वर्णित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण/परिवाद जो राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले।</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र सिंहपुर एवं रैगांव की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द0प्र0सं0 की धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं. के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा0 मुस्लिम बूमेन अधि0 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन। (ग्राम न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)</p>

			(C) -समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।
15	श्रीमती शिमोना सिंह कुल्हार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागौद	(1) आरक्षी केन्द्र – जसो	<p>(A)—आरक्षी केन्द्र जसों के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 की पहली अनुसूची के भाग-1 व भाग-2 में वर्णित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण/परिवाद जो राजस्व तहसील सतना की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले।</p> <p>(B)—आरक्षी केन्द्र जसो की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द0प्र0सं0 की धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं. के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा0 मुस्मिल बूमेन अधि0 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन। (ग्राम न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)</p>
		आरक्षी केन्द्र-नागौद, जसो, सिंहपुर एवं रैगांव	<p>(C)-उपरोक्त थानों से उत्पन्न होने वाले ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध किया गया हो।</p> <p>(D)-समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p>
16	श्रीमती भानु पंडवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मैहर	(1) आरक्षी केन्द्र-अमदरा एवं देहात (नादन)	<p>(A)—आरक्षी केन्द्र अमदरा एवं देहात (नादन) के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले एवं विविध मामले जिनमें धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामले भी शामिल हैं।</p> <p>(B)—आरक्षी केन्द्र अमदरा एवं देहात (नादन) की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द0प्र0सं0 की धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा.ना. सु.सं. के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा0 मुस्मिल बूमेन अधि0 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन।</p> <p>(C)-समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p> <p>(D)- संपूर्ण तहसील मैहर में उद्भूत वन विधि, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं माइनिंग लॉ से उत्पन्न सभी प्रकरण।</p>
		संपूर्ण तहसील मैहर	

		आरक्षी केन्द्र- मैहर, अमदरा, देहात (नादन) एवं बदेरा	(E) -उपरोक्त थानों से उत्पन्न होने वाले ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध किया गया हो।
17	श्री उदयजीत कुमार राव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मैहर	आरक्षी केन्द्र-मैहर	<p>(A)-आरक्षी केन्द्र मैहर के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले जिनमें धारा-138 परकाम्य लिखित अधिनियम से संबंधित मामले भी शामिल हैं।</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र मैहर की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द0प्र0सं0 की धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं. के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा0 मुस्लिम बूमेन अधि0 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन।</p> <p>(C)-आबकारी विभाग वृत्त मैहर के समस्त प्रकरण।</p> <p>(D)-समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण।</p>
18	श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मैहर	(1) आरक्षी केन्द्र-बदेरा	<p>(A)-आरक्षी केन्द्र बदेरा के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले एवं विविध मामले जिनमें धारा-138 परकाम्य लिखित अधिनियम से संबंधित मामले भी शामिल हैं।</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र बदेरा की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द0प्र0सं0 की धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं. के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा0 मुस्लिम बूमेन अधि0 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन।</p> <p>(C)-समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p>
19	श्री राहुल सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमरपाटन	(1) आरक्षी केन्द्र-अमरपाटन	(A) -आरक्षी केन्द्र अमरपाटन के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले जिनमें धारा-138 परकाम्य लिखित अधिनियम से संबंधित

		संपूर्ण तहसील अमरपाटन	<p>मामले भी शामिल है।</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र अमरपाटन की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द0प्र0सं0 की धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं. के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा0 मुस्लिम बूमेन अधि0 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन।</p> <p>(C)-आबकारी विभाग वृत्त अमरपाटन के समस्त प्रकरण।</p> <p>(D)-समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण।</p> <p>(E)- संपूर्ण तहसील अमरपाटन में उद्भूत वन विधि, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं माइनिंग लॉ से उत्पन्न सभी प्रकरण।</p>
20	सुश्री शालिनी उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमरपाटन	(3) आरक्षी केन्द्र-ताला	<p>(A)-आरक्षी केन्द्र ताला के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले जिनमें धारा-138 परकाम्य लिखित अधिनियम से संबंधित मामले भी शामिल है।</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र ताला की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द0प्र0सं0 की धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं. के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा0 मुस्लिम बूमेन अधि0 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन।</p> <p>(C)-समय-समय पर अंतरित प्रकरणों का निराकरण।</p>
21	सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमरपाटन	(3) आरक्षी केन्द्र- रामनगर	<p>(A)-आरक्षी केन्द्र रामनगर के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले जिनमें धारा-138 परकाम्य लिखित अधिनियम से संबंधित मामले भी शामिल है।</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र रामनगर की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द0प्र0सं0 की धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं. के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा0 मुस्लिम बूमेन अधि0 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन।</p>
		आरक्षी केन्द्र-	(C) -उपरोक्त थानों से उत्पन्न होने वाले ऐसे

		अमरपाटन, ताला एवं रामनगर	<p>आपराधिक प्रकरण जिनमें महिलाओं के विरुद्ध अपराध किया गया हो।</p> <p>(D)-समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p>
22	श्री आनंद बागरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रामपुर बघेलान	<p>आरक्षी केन्द्र-रामपुर बघेलान</p> <p>संपूर्ण तहसील रामपुर बाघेलान</p>	<p>(A)-आरक्षी केन्द्र रामपुर बघेलान के सीमा क्षेत्र से उद्भूत समस्त प्रकार के नियमित आपराधिक मामले।</p> <p>(B)-समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p> <p>(C)- संपूर्ण तहसील रामपुर बाघेलान में उद्भूत वन विधि, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं माइनिंग लॉ से उत्पन्न सभी प्रकरण।</p>
23	श्री प्रशांत मर्शकोले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रामपुर बघेलान	(1) आरक्षी केन्द्र-रामपुर बघेलान	<p>(A)-आरक्षी केन्द्र-रामपुर बघेलान की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा-138 परकाम्य लिखित अधिनियम से संबंधित मामले एवं परिवाद पत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामले।</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र रामपुर बघेलान की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द0प्र0सं0 की धारा 125 लगायत 128 के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा0 मुस्लिम बूमेन अधि0 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन।</p> <p>(C)-समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p>
24	श्री रामऔतार पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चित्रकूट	(1) आरक्षी केन्द्र नयागांव एवं बरौंधा	<p>(A)-आरक्षी केन्द्र नयागांव एवं बरौंधा के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले जिनमें धारा-138 परकाम्य लिखित अधिनियम से संबंधित मामले भी शामिल है।</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र नयागांव एवं बरौंधा की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द0प्र0सं0 की धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं. के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा0 मुस्लिम बूमेन अधि0 1986 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन।</p> <p>(C)-समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p> <p>(D)- आरक्षीकेन्द्र-बरौंधा एवं नयागांव (चित्रकूट) क्षेत्रांतर्गत उद्भूत वन विधि, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं माइनिंग लॉ से उत्पन्न सभी प्रकरण।</p>

25	श्री विनय शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चित्रकूट	(1) आरक्षी केन्द्र-मझगवां	<p>(A)-आरक्षी केन्द्र-मझगवां के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले जिनमें धारा-138 परकाम्य लिखित अधिनियम से संबंधित मामले भी शामिल है।</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र-मझगवां की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द0प्र0सं0 की धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं. के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा0 मुस्लिम बूमेन अधि0 1986 तथा धरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन।</p> <p>(C)-समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। आरक्षीकेन्द्र-मझगवां क्षेत्रांतर्गत उद्भूत वन विधि, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं माइनिंग लॉ से उत्पन्न सभी प्रकरण।</p>
26	सुश्री एकता ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उचेहरा	आरक्षी केन्द्र-उचेहरा संपूर्ण तहसील उचेहरा	<p>(A)-आरक्षी केन्द्र उचेहरा के सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमित आपराधिक एवं परिवाद पर कायम आपराधिक मामले जिनमें धारा-138 परकाम्य लिखित अधिनियम से संबंधित मामले भी शामिल है।</p> <p>(B)-आरक्षी केन्द्र उचेहरा की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द0प्र0सं0 की धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं. के आधीन भरण-पोषण दिलाए जाने संबंधी आवेदन एवं दा0 मुस्लिम बूमेन अधि0 1986 तथा धरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के आधीन प्रस्तुत आवेदन।</p> <p>(C)-समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण।</p> <p>(D)- संपूर्ण तहसील उचेहरा में उद्भूत वन विधि, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं माइनिंग लॉ से उत्पन्न सभी प्रकरण।</p>

नोट:-

- (1) परिशिष्ट 'अ' परिशिष्ट 'ब' एवं परिशिष्ट 'स' कार्य विभाजन पत्रक के ही अंग रहेंगे।
- (2) सतना जिले के सभी थानों से उत्पन्न आपराधिक मामलों की खात्मा रिपोर्ट पूर्व वर्णित को छोड़कर का निराकरण संबंधित थाने के बावत् क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।
- (3) सतना नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत चलित न्यायालय सी0जे0एम0 की पूर्व अनुमति से तथा बाहर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यकतानुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना को पूर्व सूचना देते हुए अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगा सकेंगे।
- (4) स्थानांतरण की दशा में उत्तरवर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेट को वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उनके

पूर्वाधिकारी को इस कार्य वितरण आदेश में प्राप्त हैं।

(5) अवकाश, स्थानांतरण एवं अन्य कारणों से अनुपस्थिति इत्यादि की दशा में आवश्यक दंडिक कार्य, रिमांड, जमानत, आवश्यक सुपुर्दनामा आदि प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा परिशिष्ट 'स' अनुसार सम्पादित किए जाएंगे।

(6) किसी भी कारण से किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर उनके प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट को संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण में, जिसमें अभियुक्त अपराध स्वीकार करना चाहता है, के निराकरण करने में सक्षम रहेंगे।

(7) जिला मुख्यालय सतना में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालयों द्वारा जारी किये गये स्थायी वारण्ट में गिरफ्तार होकर प्रस्तुत किये जाने वाले अभियुक्तों को वारण्ट जारी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष एवं उक्त न्यायालय रिक्त होने की दशा में संबंधित थाना क्षेत्रों की क्षेत्रीय अधिकारिता धारित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा ऐसे उद्भूत प्रकरण स्वमेव उक्त न्यायालय में अंतरित समझे जाएंगे, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त आशय की सूचना सी.आई.एस. में आवश्यक प्रविष्टि कर कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।

(8) जिला मुख्यालय, सतना के ऐसे दण्डिक न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त हैं, उनके संबंध में माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले निर्देशों का पालन, अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में सजा वारंट अथवा जेल वारंट का बनाया जाना इत्यादि सभी संबंधित कार्य एवं उनके न्यायालयों के द्वारा पारित धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं. के आदेशों के तहत जमा की जाने वाली एवं वापिसी से संबंधित समस्त कार्यवाही एवं आवश्यक कार्यों का विचारण **श्रीमती ऋतिका शर्मा खरे** जे0एम0एफ0सी0 सतना करेंगी, उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट-‘स’ में दर्शाये गये प्रभार के अनुसार किये जावेगे।

8अ- तहसील मुख्यालय मैहर में जो दण्डिक न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं, उन न्यायालयों द्वारा जारी किये गये स्थायी गिरफ्तारी वारंट, गिरफ्तारी वारंट एवं माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले निर्देशों का पालन, अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में सजा वारंट अथवा जेल वारंट का बनाया जाना इत्यादि सभी संबंधित कार्य एवं उनके न्यायालयों के द्वारा पारित धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं. के आदेशों के तहत जमा की जाने वाली एवं वापिसी से संबंधित समस्त कार्यवाही एवं आवश्यक कार्यों का विचारण **श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव** जे0एम0एफ0सी0 मैहर करेंगे, उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट 'स' में दर्शाये गये प्रभार के अनुसार किये जावेगे।

8ब- तहसील मुख्यालय अमरपाटन में जो दण्डिक न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं, उन न्यायालयों द्वारा जारी किये गये स्थायी गिरफ्तारी वारंट, गिरफ्तारी वारंट एवं माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले निर्देशों का पालन, अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में सजा वारंट अथवा जेल वारंट का बनाया जाना इत्यादि सभी संबंधित कार्य एवं उनके न्यायालयों के द्वारा पारित धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं. के आदेशों के तहत जमा की जाने वाली एवं वापिसी से संबंधित समस्त कार्यवाही एवं आवश्यक कार्यों का विचारण **सुश्री शालिनी उईके**, जे0एम0एफ0सी0 अमरपाटन करेंगी, उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट 'स' में दर्शाये गये प्रभार के अनुसार किये जावेगे।

8स- तहसील मुख्यालय नागौद में जो दण्डिक न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं, उन न्यायालयों द्वारा जारी किये गये स्थायी गिरफ्तारी वारंट, गिरफ्तारी वारंट एवं माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले निर्देशों का पालन, अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में सजा वारंट अथवा जेल वारंट का बनाया जाना इत्यादि सभी संबंधित कार्य एवं उनके न्यायालयों के द्वारा पारित धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं. के आदेशों के तहत जमा की जाने वाली एवं वापिसी से संबंधित समस्त

कार्यवाही एवं आवश्यक कार्यों का विचारण **श्री वैभव पटेल** जे0एम0एफ0सी0 नागौद करेंगे, उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट 'स' में दर्शाये गये प्रभार के अनुसार किये जावेगे।

8द- तहसील मुख्यालय रामपुर बाघेलान में जो दाण्डिक न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं, उन न्यायालयों द्वारा जारी किये गये स्थायी गिरफ्तारी वारंट, गिरफ्तारी वारंट एवं माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले निर्देशों का पालन, अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में सजा वारंट अथवा जेल वारंट का बनाया जाना इत्यादि सभी संबंधित कार्य एवं उनके न्यायालयों के द्वारा पारित धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं. के आदेशों के तहत जमा की जाने वाली एवं वापिसी से संबंधित समस्त कार्यवाही एवं आवश्यक कार्यों का विचारण **श्री आनंद बागरी**, जे0एम0एफ0सी0 रामपुर बाघेलान करेंगे, उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट 'स' में दर्शाये गये प्रभार के अनुसार किये जावेगे।

8इ- तहसील मुख्यालय चित्रकूट में जो दाण्डिक न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं, उन न्यायालयों द्वारा जारी किये गये स्थायी गिरफ्तारी वारंट, गिरफ्तारी वारंट एवं माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले निर्देशों का पालन, अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में सजा वारंट अथवा जेल वारंट का बनाया जाना इत्यादि सभी संबंधित कार्य एवं उनके न्यायालयों के द्वारा पारित धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं. के आदेशों के तहत जमा की जाने वाली एवं वापिसी से संबंधित समस्त कार्यवाही एवं आवश्यक कार्यों का विचारण **श्री विनय शर्मा**, जे0एम0एफ0सी0 चित्रकूट करेंगे, उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट 'स' में दर्शाये गये प्रभार के अनुसार किये जावेगे।

8य- तहसील मुख्यालय उचेहरा में जो दाण्डिक न्यायालय वर्तमान में रिक्त हैं, उन न्यायालयों द्वारा जारी किये गये स्थायी गिरफ्तारी वारंट, गिरफ्तारी वारंट एवं माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले निर्देशों का पालन, अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में सजा वारंट अथवा जेल वारंट का बनाया जाना इत्यादि सभी संबंधित कार्य एवं उनके न्यायालयों के द्वारा पारित धारा 125 लगायत 128/धारा-144 लगायत 147 भा.ना.सु.सं. के आदेशों के तहत जमा की जाने वाली एवं वापिसी से संबंधित समस्त कार्यवाही एवं आवश्यक कार्यों का विचारण **सुश्री एकता ठाकुर** जे0एम0एफ0सी0 उचेहरा करेंगी, उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट 'स' में दर्शाये गये प्रभार के अनुसार किये जावेगे।

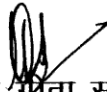
- (9) लंबित आपराधिक प्रकरण इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे।
- (10) सार्वजनिक अवकाश के दिनों में आवश्यक दांडिक कार्य संपादित करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर पृथक से आदेश प्रसारित किये जायेंगे।
- (11) आकस्मिक अवकाश की अवस्था में न्यायिक मजिस्ट्रेटगण की रिमांड डियूटी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।
- (12) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को रिमाण्ड हेतु किशोर न्याय बोर्ड सतना के समक्ष ही प्रस्तुत किया जावेगा।
- (13) म.प्र. डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम आदि के तहत पेश होने वाले अभियुक्तों की 15 दिन की प्राथमिक न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा से संबंधित मामले संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचार योग्य होंगे।
- (14) जिला मुख्यालय सतना पर धारा-138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में गठित किये गये विशेष न्यायालयों के रिक्त हो जाने के कारण उक्त न्यायालयों के द्वारा निराकृत किये गये प्रकरणों के संबंध में प्राप्त होने वाले माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों के पालन, प्रकरणों की राशि की वापिसी तथा अन्य किसी भी प्रकार के प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्रों का निराकरण **श्रीमती निर्मला वास्कले**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना द्वारा किया जावेगा।

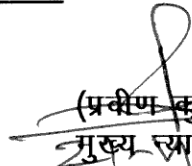
(15) धारा-164 दं०प्र०सं०/183 भा.ना.सु.सं. के तहत कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने पर परिशिष्ट 'स' के अनुसार सम्पादित किया जावेगा। यदि परिशिष्ट 'स' में अग्रिम प्रभार के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास उस संबंधित थाना ही कार्य विभाजन में हो तो आगामी कालम में उल्लिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

(16) माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक-बी/4858/दो-15-18/2001 जबलपुर, दिनांक 25 नवम्बर, 2010 के आदेशानुसार न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सतना/नागौद अपने अधिकारिता के संबंध में ग्राम न्यायालय का कार्य सम्पादन करेंगे। ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008 के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उद्भूत परिवाद एवं आपराधिक प्रकरण संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र के उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में सम्मिलित नहीं माने जावेगे।

(17) गजट अधिसूचना दिनांक 23.12.2022 जो कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है, के अनुसार स्वापक औषधि एवं मनः पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत धारा-52क के साथ गठित धारा-76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम निर्धारित किये गये हैं, उक्त नियमों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है। समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्राधिकार वाले थानों से संबंधित सम्पत्तियों के निराकरण किया जाएगा। साथ ही साथ श्री संजीत चौरसिया, जे.एम.एफ.सी. सतना अपने क्षेत्राधिकार वाले थाने के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सतना के क्षेत्राधिकार वालों थानों से संबंधित एवं श्री पुजित कमल, जे.एम.एफ.सी. सतना अपने थाना से संबंधित सम्पत्तियों के साथ ही श्री भूपेश कुमार मिश्रा, जिला रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार वाले थानों से संबंधित सम्पत्तियों का भी निराकरण करेंगे।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित


(श्रीमती मीता सोलंकी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सतना (म.प्र.)


(प्रवीण कुमार सोधिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सतना (म.प्र.)

(परिशिष्ट-अ)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ कर्नाटक विरुद्ध शिवन्ना उर्फ तरकारी शिवन्ना (एस0एल0पी0 किमीनल) 5703/2011 2014 LawSuit (SC) 374 में आदेश दिनांक 25.04.2014 में दिए गये दिशा निर्देशों के अनुरूप धारा-164 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत 'विक्टिम ऑफ रेप' एवं पास्को अधिनियम तथा महिलाओं से संबंधित लैंगिक अपराध के कथन अंकित करने हेतु निम्नांकित महिला न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के मध्य कार्य विभाजन करती हूँ :-

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट	कार्य विभाजन
01	02	03
1	श्रीमती निर्मला वास्कले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना	आरक्षी केन्द्र कोलगवां, महिला थाना एवं सिविल लाइन से उत्पन्न प्रकरणों में।
2	श्रीमती ऋतिका खरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना	आरक्षी केन्द्र धारकुण्डी (अमुआ), कोटर एवं सिटी कोतवाली से उत्पन्न प्रकरणों में एवं सतना जिले के विशेष अधिनियम जिनका उल्लेख कार्य विभाजन में नहीं है।
3	श्रीमती सोनाली वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना	आरक्षी केन्द्र उचेहरा, जसो से उत्पन्न प्रकरणों में।
4	सुश्री अक्षिता शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना	आरक्षी केन्द्र अजाक, बरौंधा, नयागांव एवं मझगवां से उत्पन्न प्रकरणों में।
5	सुश्री संयोगिता खत्री न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना	आरक्षी केन्द्र जी.आर.पी., सभापुर, कोठी, जैतवारा, यातायात व रामपुर बाघेलान, से उत्पन्न प्रकरणों में।
6	श्रीमती भानु पंडवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मैहर,	आरक्षी केन्द्र मैहर एवं बदेरा से उत्पन्न प्रकरणों में।
7	सुश्री शालिनी उईके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमरपाटन,	आरक्षी केन्द्र अमरपाटन व रामनगर एवं देहात (नादन) से उत्पन्न प्रकरणों में।
8	सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमरपाटन,	आरक्षी केन्द्र ताला व अमदरा से उत्पन्न प्रकरणों में।
9	श्रीमती शिमोना सिंह कुल्हारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नागौद, जिला-सतना	आरक्षी केन्द्र नागौद, सिंहपुर व रैगांव से उत्पन्न प्रकरणों में।

कंडिका-एक में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कंडिका-दो लगायत कंडिका-चार में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्रमानुसार धारा-164 द0प्र0सं0 के अधीन संस्वीकृति तथा कथन अभिलिखित किया जावेगा -

क.	कंडिका-एक	कंडिका-दो	कंडिका-तीन	कंडिका-चार
1	2	3	4	5
1	श्रीमती निर्मला वास्कले	श्रीमती ऋतिका खरे,	श्रीमती सोनाली वर्मा	सुश्री अक्षिता शुक्ला
2	श्रीमती ऋतिका खरे,	श्रीमती सोनाली वर्मा	सुश्री अक्षिता शुक्ला	सुश्री संयोगिता खत्री
3	श्रीमती सोनाली वर्मा	सुश्री अक्षिता शुक्ला	सुश्री संयोगिता खत्री	श्रीमती निर्मला वास्कले
4	सुश्री अक्षिता शुक्ला	सुश्री संयोगिता खत्री	श्रीमती निर्मला वास्कले	श्रीमती ऋतिका खरे,
5	सुश्री संयोगिता खत्री	श्रीमती निर्मला वास्कले	श्रीमती ऋतिका खरे,	श्रीमती सोनाली वर्मा
6	श्रीमती भानु पंडवार	सुश्री शालिनी उईके	सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव	श्रीमती निर्मला वास्कले
7	सुश्री शालिनी उईके	सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव	श्रीमती भानु पंडवार	श्रीमती ऋतिका खरे,
8	सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव	सुश्री शालिनी उईके	श्रीमती भानु पंडवार	श्रीमती सोनाली वर्मा
9	श्रीमती शिमोना सिंह कुल्हारा	श्रीमती सोनाली वर्मा	सुश्री अक्षिता शुक्ला	सुश्री संयोगिता खत्री

नोट- 1- उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायदृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में जिस दिनांक को आरक्षी केन्द्र द्वारा धारा-164 द0प्र0सं0/183 भा.ना.सु.सं. के अधीन कथन विक्टिम ऑफ रेप को पेश किया जावे, उसी दिनांक को ही अविलम्ब उसका कथन अंकित करें।

2- उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायदृष्टांत के परिप्रेक्ष्य मामले में धारा-164 द0प्र0सं0/183 भा.ना.सु.सं. के अधीन अभिलिखित कथन की सत्यप्रति मामले के विवेचक को इस निर्देश के साथ प्रदान की जावे कि उक्त कथन को वे मामले में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने तक उसे गोपनीय रखेंगे।

3- यदि परिस्थितिबश कंडिका-1 में वर्णित पीठासीन अधिकारी एवं उनके न्यायालय के कमशः सभी प्रभारी अधिकारी अवकाश पर या किसी अन्य कारणवश अनुपस्थित रहते हैं तो इस परिस्थिति में धारा-164 दं0प्र.सं0/183 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत उपरोक्त कथन जिला मुख्यालय पर उपलब्ध वरिष्ठतम महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में जिला मुख्यालय में उपलब्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त मुख्यालय में कार्यरत वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा संपादित किया जावेगा।

(प्रवीण कुमार सोंधिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सतना म.प्र.

(परिशिष्ट-ब)

न्यायिक मजिस्ट्रेटगण निम्नानुसार धारा-164 द0प्र0सं0 के अधीन संस्वीकृतियां तथा कथन (परिशिष्ट 'अ' में उल्लिखित मामलों को छोड़कर) अभिलिखित करेंगे :-

क्रमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट	कार्य विभाजन
1	श्री पुष्पराज सिंह उईके	आरक्षी केन्द्र धारकुण्डी (अमुआ), सभापुर से उत्पन्न प्रकरणों में।
2	श्री भूपेश कुमार मिश्रा	आरक्षी केन्द्र कोलगावां एवं उचेहरा से उत्पन्न प्रकरणों में।
3	श्री प्रत्युश चतुर्वेदी	आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, जैतवारा एवं जी.आर.पी. से उत्पन्न प्रकरणों में।
4	श्री पुजित कमल	आरक्षी केन्द्र महिला थाना एवं रामपुर बाघेलान से उत्पन्न प्रकरणों में।
5	श्री संजीत चौरसिया,	आरक्षी केन्द्र कोटर यातायात एवं कोठी से उत्पन्न प्रकरणों में।
6	श्री राजीव पटेल	आरक्षी केन्द्र सिंहपुर व रैगांव से उत्पन्न प्रकरणों में।
7	श्री वैभव पटेल	आरक्षी केन्द्र जसो व नागौद से उत्पन्न प्रकरणों में।
8	श्री रामऔतार पटेल	आरक्षी केन्द्र मझगावां से उत्पन्न प्रकरणों में।
9	श्री विनय शर्मा	आरक्षी केन्द्र नयागांव एवं बरौंधा से उत्पन्न प्रकरणों में।
10	श्री उदयजीत कुमार राव	आरक्षी केन्द्र अमदरा, देहात(नादन) से उत्पन्न प्रकरणों में।
11	श्रीमती भानु पंडवार,	आरक्षी केन्द्र मैहर व बदेरा से उत्पन्न प्रकरणों में।
12	श्री राहुल सोनी	आरक्षी केन्द्र-रामनगर व ताला से उत्पन्न प्रकरणों में।
13	सुश्री शालिनी उईके	आरक्षी केन्द्र-अमरपाटन से उत्पन्न प्रकरणों में।
14	श्री प्रशांत मर्शकोले	आरक्षी केन्द्र रामपुर बाघेलान से उत्पन्न प्रकरणों में।

(प्रवीण कुमार सोंधिवा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सतना (म.प्र.)

(परिशिष्ट-स)

कंडिका-एक में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति/स्थानांतरण की अवस्था में आवश्यक दंडिक कार्य कंडिका-दो में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा व कंडिका-दो में वर्णित न्यायिक दण्डाधिकारी की अनुपस्थिति/स्थानांतरण की अवस्था में कंडिका-तीन में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तथा कंडिका-तीन में वर्णित न्यायिक दण्डाधिकारी की अनुपस्थिति में कंडिका-चार में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक दंडिक कार्य किया जाएगा।

क0	कंडिका-एक	कंडिका-दो	कंडिका-तीन	कंडिका-चार
1	प्रवीण कुमार सौधिया	श्री पुष्पराज सिंह उईके	श्री भूपेश कुमार मिश्रा	श्रीमती निर्मला वास्कले
2	श्री पुष्पराज सिंह उईके	श्री भूपेश कुमार मिश्रा	श्रीमती निर्मला वास्कले	श्रीमती ऋतिका खरे
3	श्री भूपेश कुमार मिश्रा	श्रीमती निर्मला वास्कले	श्रीमती ऋतिका खरे	श्री प्रत्युश चतुर्वेदी
4	श्रीमती निर्मला वास्कले	श्रीमती ऋतिका खरे	श्री प्रत्युश चतुर्वेदी	सुश्री सोनाली वर्मा
5	श्रीमती ऋतिका खरे	श्री प्रत्युश चतुर्वेदी	सुश्री सोनाली वर्मा	श्री पुजित कमल
6	श्री प्रत्युश चतुर्वेदी	सुश्री सोनाली वर्मा	श्री पुजित कमल	श्री संजीत चौरसिया
7	सुश्री सोनाली वर्मा	श्री पुजित कमल	श्री संजीत चौरसिया	सुश्री अक्षिता शुक्ला
8	श्री पुजित कमल	श्री संजीत चौरसिया	सुश्री अक्षिता शुक्ला	सुश्री संयोगिता खत्री
9	श्री संजीत चौरसिया	सुश्री अक्षिता शुक्ला	सुश्री संयोगिता खत्री	श्री पुष्पराज सिंह उईके
10	सुश्री अक्षिता शुक्ला	सुश्री संयोगिता खत्री	श्री भूपेश कुमार मिश्रा	श्रीमती निर्मला वास्कले
11	सुश्री संयोगिता खत्री	श्रीमती निर्मला वास्कले	श्रीमती ऋतिका खरे	श्री प्रत्युश चतुर्वेदी
12	श्री राजीव पटेल	श्री वैभव पटेल	श्रीमती शिमोना सिंह कुल्हार	सुश्री अक्षिता शुक्ला
13	श्री वैभव पटेल	श्रीमती शिमोना सिंह कुल्हार	श्री राजीव पटेल	श्री संजीत चौरसिया
14	श्रीमती शिमोना सिंह कुल्हार	श्री वैभव पटेल	श्री राजीव पटेल	सुश्री संयोगिता खत्री
15	श्रीमती भानु पंडवार,	श्री उदयजीत कुमार राव	श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव	श्री राहुल सोनी
16	श्री उदयजीत कुमार राव	श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव	श्रीमती भानु पंडवार,	सुश्री शालिनी उईके
17	श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव	श्रीमती भानु पंडवार,	श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव	सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव
18	श्री राहुल सोनी	सुश्री शालिनी उईके	सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव	श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव
19	सुश्री शालिनी उईके	सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव	श्री राहुल सोनी	श्री उदयजीत कुमार राव
20	सुश्री रितिका विजय कुमार श्रीवास्तव	श्री राहुल सोनी	सुश्री शालिनी उईके	श्रीमती भानु पंडवार,
21	श्री आनंद बागरी	श्री प्रशांत मर्शकोले	सुश्री संयोगिता खत्री	श्री पुजित कमल
22	श्री प्रशांत मर्शकोले	श्री आनंद बागरी	श्री पुजित कमल	सुश्री संयोगिता खत्री
23	श्री रामऔतार पटेल	श्री विनय शर्मा	सुश्री सोनाली वर्मा	श्री प्रत्युश चतुर्वेदी
24	श्री विनय शर्मा	श्री रामऔतार पटेल	श्री पुष्पराज सिंह उईके	श्रीमती निर्मला वास्कले
25	सुश्री एकता ठाकुर	श्री पुजित कमल	श्री संजीत चौरसिया	सुश्री अक्षिता शुक्ला

नोट:- 1- यदि परिस्थितिवश कंडिका-1 में वर्णित पीठासीन अधिकारी एवं उनके न्यायालय के कमश: तीनों प्रभारी अधिकारी अवकाश पर या किसी अन्य कारणवश अनुपस्थित रहते हैं तो इस परिस्थिति में उस न्यायालय का आवश्यक प्रकृति का समस्त कार्य उक्त कण्डिका के अंतिम प्रभारी का कार्य सम्पादित करने हेतु नियुक्त किये गये प्रभारी अधिकारी की कण्डिका में कमश: उपलब्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा।

2- न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सतना के स्थानांतरण, अवकाश व अनुपस्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

के अतिरिक्त जिला मुख्यालय सतना के उपस्थित वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक कार्य सम्पादित किया जावेगा।

3- प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड के अवकाश या अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में किशोर न्याय बोर्ड के आवश्यक कार्य किशोर न्याय बोर्ड के अन्य सदस्यों द्वारा कार्य नियमानुसार सम्पादित किया जावेगा। इस संबंध में प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट आवश्यक आदेश, दिशा-निर्देश प्रसारित कर सकेंगे तथा यदि प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट व सदस्यगण अवकाश पर या किसी अन्य कारण से अनुपस्थित रहते हैं तो उस दशा में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा तथा सार्वजनिक अवकाश में रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य निष्पादित किया जाएगा।

4- तहसील स्थापनाओं में कर्तव्यस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों में से एक भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के उपलब्ध न होने (अवकाश या अन्यथा अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित रहने) की दशा में आवश्यक रिमाण्ड कार्य सतना मुख्यालय पर रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जायेगा।

(प्रवीण कुमार सोंधिया)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

सतना (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक-

5971 / 26

सतना, दिनांक-21/04/2024

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सतना।
- 2- माननीय विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश, सतना/मैहर/अमरपाटन/नागौद/रामपुर बाघेलान।
- 3- समस्त ए.सी.जे.एम./न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना/मैहर/अमरपाटन नागौद/रामपुर बाघेलान/उचेहरा/चित्रकूट।
- 4- जिला मजिस्ट्रेट, सतना।
- 5- पुलिस अधीक्षक, सतना।
- 6- निरीक्षक, यातायात, सतना।
- 7- जिला अभियोजन अधिकारी, सतना।
- 8- बार एसोसियेशन, सतना।
- 9- जिला आबकारी अधिकारी, सतना।
- 10- डी.एफ.ओ.,(वन विभाग) सतना।
- 11- श्रम अधिकारी, सतना।
- 12- आयुक्त, नगर निगम, सतना।
- 13- नियंत्रक/निरीक्षक, नापतौल विभाग, सतना।
- 14- उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सतना।
- 15- क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सतना।
- 16- सिस्टम आफिसर, सतना की ओर मेमो की प्रति उपरोक्त वर्णित सभी प्राधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से भेजने के निर्देश के साथ प्रेषित।

(प्रवीण कुमार सोंधिया)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

सतना (म.प्र.)